

4) 7/12

Annexure D

BUILDING SAFETY CERTIFICATE

No. EES/1004

Dated: 09/7/24

It is certified that the existing building GOKUL SCHOOL CHANDAWAL (name of the building or premises) at MURDAWA ROAD, CHANDAWAL NAGAR, TH-SOJAT

RAJ-306306 (address) is having block(s)/Floor(s) as per details below:

Detail of Block(s) in school	Block (1)	Block (2)	Block (3)	Block (4)	Block (5)	Block (6)
No. of Floor(s) in the Block	<u>3 FLOORS</u>	-	-	-	-	-

The building is owned/occupied by GOKUL GROUP (GOKUL SCHOOL CHANDAWAL) (name of the Institution) have complied with the Building safety requirements in accordance with National Building code Rules, and verified by the officers concerned of PWD SOJAT (Name of Department/ Govt.) on 10/01/2024 (date of inspection) in the presence of VIJAY PAL SINGH, JUNIOR ENGINEER (name and addresses of the Manager/Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy for running school with effect from 12/01/2024 for a period of 3 (Three) years in accordance with rule and subject to compliance of the specific conditions as appended.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Issued on 12/01/2024 at SOJAT CITY by

* Strike out whichever is not applicable. In case of block is more than six use separate sheet for detail.

[Signature]
PRINCIPAL
GOKUL SCHOOL
CHANDAWAL (PALI)

[Signature]
सचिव
गोकुल स्कूल चण्डावल

[Signature]
Signature with Seal: **(Suneet Kumar Meena)**
Executive Engineer
PWD Division Sojat

Name: Suneet Kumar Meena

Designation: Executive Engineer

Name & Address of Department/ Office: PWD Div. Sojat

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड सोजत सिटी

क्रमांक : अअसो / तक.स. / 2023-24 / 4547

दिनांक :- 12/1/24

गोकुल स्कूल,
उच्च प्राथमिक विद्यालय,
मुरडावा रोड, चण्डावल,
तहसील सोजत, पाली।

(1) 8/12

विषय :- भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी करने बाबत ।

प्रसंग :- आपका पत्र दिनांक 01.01.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा गोकुल स्कूल, उच्च प्राथमिक विद्यालय, मुरडावा रोड, चण्डाल, तहसील सोजत, पाली संस्थान भवन का भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र चाहा गया था। संस्थान भवन का भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र निम्न शर्तों पर जारी किया जाता है :-

1. भवन में नवीन निर्माण कार्य अथवा मरम्मत कार्य करने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्वानुमति लेकर सुरक्षा के समस्त उपाय अपनाये जावे। उपरोक्त कार्य के कारण भवन संरचनात्मक दृष्टि से असुरक्षित होता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संस्थान प्रशासन की रहेगी।
2. भवन की छत अथवा दीवार में त्रुटी या दरार दृष्टिगत होने पर सुरक्षा के समस्त उपाय अपनाते हुये कार्य करे व भवन सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखे।
3. वर्षा ऋतु से पूर्व संस्थान भवन की सुरक्षा हेतु समस्त उपाय किये जावे जिसकी जिम्मेदारी संस्था की होगी।
4. यह भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र 11.01.2027 तक के लिए मान्य होगा।
5. चूंकि इस संस्थान भवन का निर्माण सा.नि.वि द्वारा नहीं करवाया गया है, अतः नीव में प्रयुक्त सामग्री की जानकारी इस कार्यालय को नहीं है।
6. भवन सुरक्षा हेतु शिक्षा विभाग अथवा अन्य द्वारा जारी दिशा निर्देशों, परिपत्रों की अक्षरत पालना की जावे।
7. उक्त भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र निजी तोर पर निरीक्षण किया जाकर प्रदान किया जा रहा है।
8. यह भवन सामान्य परिस्थितियों में संरचनात्मक रूप से सुरक्षित है ना कि प्राकृतिक आपदा जैसी भूकम्प, बाढ़, अतिवृष्टि इत्यादि में।
9. यदि संस्थान भवन का उपयोग शिक्षण गतिविधियों के अतिरिक्त किसी अन्य गतिविधियों के लिए किया जाता है तो यह प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त हो जाएगा।

प्रार्थी द्वारा भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र बाबत राशि रु. 3000/- खण्ड कार्यालय ई-चालान संख्या 0084565028 दिनांक 12.01.2024 द्वारा जमा करायी जा चुकी है। आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि.खण्ड सोजत सिटी
दिनांक :-

क्रमांक : अअसो / तक.स. / 2023-24 /

प्रतिलिपि सहायक अभियंता सा.नि.वि. उपखण्ड द्वितीय को उनके पत्रांक 223 दिनांक 10.01.2024 के संदर्भ सूचनार्थ प्रेषित है।

PRINCIPAL
GOKUL SCHOOL
CHANDAWAL (PALI)

सचिव
गोकुल स्कूल चण्डावल

अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि.खण्ड सोजत सिटी